गवर्नर करता था, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे, परंतु उनकी पदस्थापना व निष्कासन गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी।

हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी दोषपूर्ण था। उदाहरणार्थ, सिंचाई तो आरक्षित विषय था और भूमि हस्तांतरित, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े थे।

इस अधिनियम की सीमाएं

- द्वैधशासन को सुचारु रूप से परिचालित करना अत्यधिक जटिल था और इसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल एवं गवर्नरों को क्रमशः केंद्र और प्रांतों में विधायिका को बाधित करने हेतु व्यापक शक्तियां प्राप्त थी।
- केंद्रीय विधायिका की वित्तीय शक्तियां भी अत्यधिक सीमित थी।

इस अधिनियम के सकारात्मक पक्ष

- सांप्रदायिक पंचाट (1932) भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीय लोगों को अपना सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का एक अन्य विस्तार था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिसने भविष्य के सुधारों हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 और अंततः भारतीय संविधान का आधार बना। उत्तरदायी सरकार, एकशासन और संघीय ढाँचे के महत्वपूर्ण सिद्धांत 1919 के 'मॉंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों' के माध्यम से ही विकसित हुये।

Scanned with CamScanner

4. विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बाँटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, जिसपर गवर्नर - जनरल सपरिषद् कानून बना सकता था। विदेशी मामले रक्षा, राजनैतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून तथा कार्यप्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में थे। प्रांतीय महत्व के विषयों पर गवर्नर कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की सहमति से कानून बनाता था। प्रांतीय महत्व के विषय थे - स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमिकर प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, कृषि इत्यादि।

5. केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा, राज्य परिषद् के स्त्रियां सदस्यता के लिए अनुपयुक्त नहीं समझी गई थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का था, जिसे गवर्नर- जनरल बढ़ा सकता था। साम्प्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिक्खों तक विस्तृत कर दिया गया।

6. केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। गवर्नर - जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा उसकी वैधता 6 माह तक रहती थी।

7. इस अधिनियम के अनुसार बजट पर बहस तो हो सकती थी, पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था।

8. 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित व हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से

Scanned with CamScanner

"मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम - 1919"

(B.A- SEMESTER-VI) Paper XIII (13) Guess Q.- (8)

भारत सरकार अधिनियम, 1919 को 'मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार' के नाम से भी जाना जाता है. क्यों कि इस अधिनियम के पारित होने के समय मांटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। अंग्रेज सरकार का यह कहना था कि इस अधिनियम की विशेषता 'उत्तरदायी शासन की प्रगति' है।. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को 'भारत की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा' की संज्ञा दी गई। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्णवातावरण को समाप्त कर दिया। पहली बार 'उत्तरदायी शासन' शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई।

'1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं'

(1) प्रान्तों के हस्तान्तरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बना रहा।

(2) भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी 'भारतीय उच्चायुक्त' नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई।

(3) इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर - जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किये गये। इन सदस्यों को विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग सौंपे गये।

Scanned with CamScanner